17
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

17.1 सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप श्रम मंत्रालय ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लाभार्थ कई विशिष्ट स्कीमें तैयार की हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ट स्कीमें

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र
- विशेष अनुशिक्षण स्कीम
- श्रमिक कल्याण कोष/स्कीम
- बंधुआ मजदूर पुनर्वास
- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्र

17.2 इस योजना का आरंभ चार केन्द्रों पर प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1969-70 में हुआ। योजना की सफलता को देखते हुए यह 18 अन्य राज्यों में शुरू की गई । वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 22 अनुशिक्षण सह-मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं । (इनमें जोवाई केन्द्र को पूरी तरह कार्यान्वित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है) । ये केन्द्र पुराने मामले की समीक्षा सहित अनुसूचित जाति/जनजातियों से संबंधित रोजगार के जिज्ञासु व्यक्तियों के लाभ हेतु व्यावसायिक सूचनाएं तथा वैयक्तिक मार्ग-दर्शन आदि की सुविधा प्रदान करते हैं तथा आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं । आवेदकों को रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण के समय तथा अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किए जाते समय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है । ये केन्द्र अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरने में नियोक्ताओं का भी अनुवर्तन करते हैं ।

इसके अलावा इन केन्द्रों में से 13 केन्द्र टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं । जनवरी, 2003 से दिसम्बर 2003 के दौरान अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा किए गए विभिन्न कार्य नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-

कार्यकलाप	सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या
• पंजीकरण मार्गदर्शन	25828
• प्रस्तुतिपूर्व (प्री-सबमिशन) मार्गदर्शन	4834
• आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम	21204
• टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण	9551
• भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	2417

विशेष अनुशिक्षण योजना

17.3 केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षित रिक्तियों में उनकी भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने उनके लिए **“**विशेष अनुशिक्षण योजना**”** नामक दूसरी योजना प्रारम्भ की है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को समूह **“**ग**”** पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना दिल्ली तथा गाजियाबाद में वर्ष 1973 में प्रायोगिक रूप में आरंभ की गई थी । अब तक इस योजना के 20 चरण पूरे हो गये हैं और 21 वां चरण 1.7. 2003 से प्रगति पर है ।

17.4 उपर्युक्त योजना की सफलता को देखते हुए इसका वर्ष 1992 से बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, रांची, सूरत और कानपुर स्थित केन्द्रों तथा 1999 से गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई और तिरूवनंतपुरम केन्द्रों के माध्यम से 12 और स्थानों पर विस्तार किया गया है। विशेष अनुशिक्षण योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 8377 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है ।

श्रमिक कल्याण कोष/योजनाएं

17.5 अभ्रक खान, लौह-अयस्क, मैगनीज-अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान, सिने और बीड़ी क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, जल-आपूर्ति तथा परिवार कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित 5 श्रमिक कल्याण कोषों के तहत कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । इनमें से कुछ योजनाओं पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को विशेष छूट है । इनका विवरण निम्नवत् है :

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

17.6 भारत में ऋण दासता प्रणाली कतिपय श्रेणियों की ऋणग्रस्तता के कारण है जिसमें कतिपय आर्थिक रूप से शोषित, असहाय तथा समाज के कमजोर तबके शामिल हैं । यह प्रणाली असमान सामाजिक संरक्षण के कारण शुरू हुई जिसका कारण भूमि और परिसंपत्तियों का असमान वितरण था। ऐसा देखा गया है कि चिह्नित और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों में से अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि केन्द्र प्रायोजित बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, अनुसूचित जाति संबंधी विशिष्ट घटक योजना, अनुसूचित जनजाति उप-योजना आदि जैसी अन्य चालू गरीबी उन्मूलन संबंधी अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर दिया जाए/जोड़ दिया जाए ताकि बंधुआ श्रमिकों के अर्थपूर्ण पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाये जा सकें।

सर्वेक्षण एवं शोध अध्ययन

17.7 श्रम ब्यूरो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों के लिए दो प्रकार के अध्ययन करता है :

(i) शहरी क्षेत्रों में झाडू -बुहारी, खाल उतारने तथा चर्मशोधन, हड्डी पिसाई तथा जूते बनाने जैसे अस्वच्छता वाले कार्यों के चार समूहों से जुड़े अनुसूचित जाति के श्रमिकों की कामकाजी दशाएं ।

(ii) औद्योगिक शहरों के चुने हुए केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं ।

17.8 ब्यूरो ने अब तक 8 अनुसूचित जाति केन्द्रों तथा 7 अनुसूचित जनजाति केन्द्रों का सर्वेक्षण किया है। इनसे संबंधित रिपोर्टें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। चालू वर्ष के दौरान बरबिल-जोड़ा (अनुसूचित जनजाति केंद्र) से संबंधित रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया ।

17.9 अनुसूचित जाति के श्रमिकों की कामकाजी और रहन-सहन की दशाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराने से संबंधित अन्तर विभागीय निदेशन समिति ने हाल ही में स्वच्छ व्यवसायों को शामिल करने का निर्णय लिया था । परिणामतः जयपुर केन्द्र (अ.जा.) में मुख्य सर्वेक्षण के दौरान, इन व्यवसायों को शामिल भी कर लिया गया एवं जनवरी 2003 से मार्च, 2003 के दौरान अध्ययन पूरा कर लिया गया तथा आंकड़ा संसाधन का कार्य प्रगति पर है।

श्रम मंत्रालय में आरक्षण

17.10 श्रम मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़ों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका

श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

कर्मचारियों की श्रेणी	**कार्यरत स्टाफ**	**आरक्षण के आधार पर पद**		**अवस्थित**		**बेसी (+) कमी (-)**	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
समूह "क" *	934	140	70	156	53	+16	-17
समूह "ख"	1061	159	80	196	56	+37	-24
समूह "ग"	4402	660	330	900	297	+240	-33
समूह " घ"	2936	440	220	912	201	+472	-19
कुल	**9333**	**1399**	**700**	**2164**	**607**	**+765**	**-93**

*आरक्षण समूह ध्कङ के निचले स्तर पर लागू होता है ।

17.11 उपर्युक्त के अनुसार, श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रोजगार का कुल प्रतिशत क्रमश: 23.19% एवं 6.5% है । अनुसूचित जनजातियों के मामले में आरक्षित पदों की संख्या में 1% की कमी है जिसका मुख्य कारण उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है ।

17.12 भारत सरकार ने उनके अंतर्गत सिविल पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में दिनांक 8 सितम्बर, 1993 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके अध्यधीन उच्च वर्ग को बाहर रखा जाएगा ।

17.13 “विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995” की अपेक्षा के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों एवं वर्ष 2002 के दौरान भरे गए पदों से संबंधित आंकड़े निम्नवत हैं:-

तालिका		
कर्मचारियों की श्रेणी	**पहचान किए गए अक्षम व्यक्तियों के लिए संस्वीकृत पदों की सख्या**	**अक्षम व्यक्तियों द्वारा भरे गए पदों की संख्या**
समूह घ्कङ	16	02
समूह घ्खङ	407	06
समूह घगङ	1524	71
समूह घ्घङ	1145	44

विवाचन बोर्ड (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र)

भारत सरकार ने नियोजक के रूप में सरकार एवं अपने कर्मचारियों के सामान्य निकाय के सामान्य मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य विवाचन हेतु वर्ष 1966 में एक योजना प्रारम्भ की थी ।

इस योजना में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, साप्ताहिक कार्य घंटों एवं किसी श्रेणी अथवा कोटि के अवकाश के संबंध में अनिवार्य विवाचन का प्रावधान है।

इस योजना के अंतर्गत, जुलाई, 1968 में विवाचन बोर्ड गठित किया गया था। बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पूर्णकालिक होता है। श्रम मंत्रालय द्वारा अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति, बोर्ड को विवाद को संदर्भित करते समय इसके द्वारा रखे गए कर्मचारी पक्ष एवं अधिकारी पक्ष दोनों के सदस्यों के पैनल में से की जाती है।

31 मार्च, 2004 तक, बोर्ड को 252 मामले संदर्भित किए गए थे तथा बोर्ड ने 248 मामलों का निपटान कर दिया है।